संख्या- 5/2025/जी-2-168/दस-2025/10-18099/36/2023

प्रेषक,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव

उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक : 25 सितम्बर, 2025

विषयः सा०भ०नि०/भविष्य निधि खातों में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रू0 5 लाख से अधिक अभिदान जमा होना ।

महोदय,

उप महालेखाकार/फण्ड, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9D (2) (C) (i) के प्राविधान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों की जमा सहित वार्षिक अभिदान की सीमा अधिकतम रू० 05 लाख निर्धारित कर दी गयी है। उक्त के दृष्टिगत आयकर नियमावली, 1962 के उपर्युक्त प्राविधान को ध्यान में रखते हुए उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के अभिदाताओं के लिए एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों की जमा सहित कुल अभिदान की सीमा तात्कालिक प्रभाव से अधिकतम रू० 05 लाख निर्धारित किये जाने हेतु प्रावधान किया गया। तत्क्रम में सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन हेतु अधिसूचना दिनांक 04.12.2023 निर्गत कर दी गयी है।

2- उक्त अधिसूचना के प्राविधानों के अनुपालन में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत उपमहालेखाकार, प्रयागराज, उ०प्र० द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की वार्षिक लेखाबन्दी के पश्चात संज्ञान में आया है कि जी०पी०एफ० के और ए०आई०एस०पी०एफ० के कतिपयअभिदाताओं के लेखे में जमा धनराशि की सीमा रू0 5 लाख से अधिक हो गयी है। अतएव इसके निराकरण हेतु शासन स्तर से यथोचित दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

3- उपर्युक्त के संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपमहालेखाकार, प्रयागराज, उ०प्र० द्वारा किए गए उक्त अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरन्त यह निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में किसी भी अभिदाता के खाते में रू0 5.00 लाख से अधिक जमा हुई धनराशि (अभिदान, एरियर अभिदान, बोनम, डीए एरियर सहित किन्तु Temporary Advance के रिफण्ड की धनराशि को छोड़ते हुए) को वापस करने के स्थान पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इसे अगले वित्तीय वर्ष की दिनांक 01 अप्रैल से सम्बन्धित के खाते में जमा माना जाए, तथा इसको इस वित्तीय वर्ष के सामान्य अभिदान, एरियर अभिदान, बोनस, डीए एरियर की धनराशि के साथ जोड़ते हुए रू0 5.00 लाख की सीमा में जमा किया जाए तथा उक्त सीमा से अधिक अवशेप / सरप्लस जमा धनराशि को पुनः उपरोक्त प्रक्रिया की भाँति अगले वित्तीय वर्ष की दिनांक 01 अप्रैल से खाते में जमा माना जाए। इस प्रकिया में किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय रू0 5.00 लाख से अधिक जमा हुई धनराशि पर उस वित्तीय वर्ष में व्याज नहीं देय होगा। इस प्रकार विगत वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में रू0 5.00 लाख से अधिक जमा हुई धनराशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। इस सम्बन्ध में समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाने आवश्यक होंगे कि विगत वर्ष की रू. 5.00 लाख से अधिक जमा हुई धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभिदान, एरियर अभिदान, बोनस, डीए एरियर सहित जोड़ते हुए यदि रू0 5.00 लाख की सीमा पूर्ण हो जाती है, तो तत्काल उस अभिदाता के अभिदान चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए रोक दिए जाएं और आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक अभिदाता का कुल जमा रू0 5.00 लाख की सीमा से अधिक (अभिदान, एरियर अभिदान, बोनस, डीए एरियर सहित किन्तु Temporary Advance के रिफण्ड की धनराशि को छोड़ते हुए) कदापि न हो सके।

उपरोक्त प्रक्रिया से समायोजन के बावजूद यदि किसी अभिदाता का चालू वित्तीय वर्ष (2025-2026) में रू0 5.00 लाख से अधिक जमा हो चुका हो तो उस अभिदाता का अभिदान चालू वित्तीय वर्ष (2025-2026) के अवशेष अवधि के लिये रोक दिया जाय तथा रू0 5.00 लाख से अधिक जमा हुई धनराशि को वापिस किये जाने हेतु महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी तत्क्रम में उक्त अभिदाता को रू0 5.00 लाख से अधिक जमा हुई धनराशि तत्काल बिना व्याज के वापस कर दी जाय। उक्तधनराशि की वापसी एवं लेखांकन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय मे परामर्श प्राप्त करते हुए निर्देश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष (2022-2023) से 05 लाख की अधिकतम सीमा लागू होने के कारण किसी भी अभिदाता को उपर्युक्त सीमा से अधिक जमा धनराशि (अभिदान, एरियर, बोनस, डीए एरियर सहित किन्तु Temporary Advance के रिफण्ड की धनराशि को छोड़ते हुए) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु महालेखाकार कार्यालय द्वारा जी.पी.एफ. लेखा संबंधी आगणन साफ्टवेयर में तद्नुसार अपेक्षित संशोधन किया जाना आवश्यक होगा।

अतएव आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से यथोचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) उपमहालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके उक्त पत्र दिनांक 30.06.2025 के संदर्भ में।
(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक कोपागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) समस्त मुख्य कोपाधिकारी/ कोपाधिकारी।
(8) समस्त आहरण-वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनुराग गुप्ता,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।